**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–17, जयपुर महानगर–प्रथम, सांगानेर मुख्यालय**

**पीठासीन अधिकारी : कविता चारण, आर0जे0एस0**

दाण्डिक प्रकरण संख्या : 1576/2007

सीआईएस नंबर : 9006/2020

सरकार ..... ––अभियोगी––

**ब ना म**

1. राधेश्याम मीणा पुत्र श्री गीगाराम मीणा, उम्र वयस्क निवासी पदमपुरा रोड गोनेर, थाना शिवदासपुरा, जयपुर (मृतक कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 19.11.2014).

2. नाहरू पुत्र श्री रामकरण, उम्र वयस्क, निवासी नाढी की ढाणी मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर (मृतक कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 03.11.2023).

3. लाला मीणा पुत्र श्री प्रभूनारायण मीणा, उम्र वयस्क निवासी नाढी की ढाणी, मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर.

––अभियुक्तगण––

**अपराध अन्तर्गत धारा 452, 392 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता**

उपस्थित :–

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से
श्री मनोज कुमावत, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त लाला की ओर से

————

**::– नि र्ण य –::** **दिनांक : 24.08.2026**

1– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राधेश्याम मीणा व नाहरू की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा

चुकी है। अब प्रकरण में शेष अभियुक्त लाला मीणा के विरूद्ध ही प्रकरण का निस्तारण का किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.08.2007 को परिवादी राजकुमार ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 17.08.2007 को सायं 05.00 बजे वह अपने मालिक रामप्रताप खेडिया के कार्यालय में अपना कार्य कर रहा था। अचानक राधेश्याम, लालाराम एवं अन्य तीसरा साथी, जिसका नाम वह नहीं जानता, जिसका हुलिया सफेद टी–शर्ट एवं दुबला–पतला था, अचानक आए और उससे कार्यालय में मारपीट शुरू कर दी और तिजोरी की चाबी मांगी, चाबी नहीं देने पर मारपीट करना ज्यादा शुरू कर दी। उसने चाबी नहीं दी तो जान से मारने की धमकी दी और चाबी छीन ली और 40,000/–रुपये छीनकर अपने वाहन मारूति 800 लेकर भाग गए और हीरो होण्डा पैशन प्लस को छोड़कर भाग गए, जिसके नम्बर आर.जे.14–58–सी.एस थे। उसने रामप्रताप को इस बाबत् सूचना दी एवं पुलिस थाने में अवगत कराया, आदि। उक्त रिपोर्ट पर मु.नं. 498/2007 अन्तर्गत धारा 452, 392 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 में दर्ज किया गया। बाद तफ्तीश अभियुक्तगण राधेश्याम, नाहरू व लाला मीणा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 452, 392 सपठित धारा 34 भा0द0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

3– बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को भा0द0सं0 की धारा 452, 392 सपठित धारा 34 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.ड. 1 रामप्रताप व पी.ड. 2 सीताराम को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत पी–6 आदि दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। पत्रावली में गवाहों को बार–बार तलब किये जाने के बावजूद व गवाहों की तामील अदम आने पर गवाहों की तलबी बंद की जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

5– अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उन्होंने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी चाही, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

6– बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियोजन द्वारा अपनी समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु दोष–सिद्व किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रकरण में पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोष–मुक्त किया जावे।

8– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है किः–

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.08.2007 को समय 05.00 पी.एम. या उसके लगभग शिव प्रोपर्टी गोविन्द विहार, प्लॉट नम्बर 18ए पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवारी राजकुमार सोनी के साथ मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् उक्त सम्पत्ति में अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया एवं उक्त कार्यालय में परिवादी के साथ मारपीट कर सदोष अवरोध कारित कर परिवादी के कब्जे से 40,000/–रुपये छीनकर ले जाकर लूट कारित की ?

- यदि हां, तो उक्त अपराध की उचित सजा क्या होगी?

9– उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 02 गवाहान् को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू–01 रामप्रताप जो नक्शा व फर्द जब्ती मोटरसाईकिल के गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है,

जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय उसकी दुकान पर राधेश्याम, लालाराम और दो व्यक्ति मोटरसाईकिल व फोरव्हीलर पर आए। राजकुमार ऑफिस में बैठा था तथा राजकुमार के साथ धक्का–मुक्की व मारपीट की तथा आलमारी की चाबी छीनकर 40,000/–रुपये छीन लिये। नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 व फर्द जब्ती मोटरसाईकिल पेशन प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त घटना उसके सामने नहीं हुई, वह घर पर था। यह कहना सही है कि उसने राजकुमार सोनी के कथनानुसार बयान दिये थे। उसने पुलिस वालों के कथनानुसार ही हस्ताक्षर किये थे।

10– गवाह पी.डब्ल्यू–02 सीताराम जो प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उक्त प्रकरण से संबंधित अनुसंधान किये जाने बाबत् औपचारिक साक्ष्य दी है।

दौराने जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4 लगायत पी–6 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं लिये जाना बताया है। गवाह ने आगे अपनी जिरह में कथन किया है कि अभियुक्तगण से इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई।

11– इस प्रकार प्रकरण में जो भी गवाहान् अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराए हैं, उनमें से गवाह पी.डब्ल्यू–01 ने अपनी जिरह में उसके सामने कोई घटना कारित नहीं होना तथा प्रकरण में परिवादी/आहत राजकुमार सोनी के कथनानुसार बयान दिये जाना बताते हुए फर्दात् पर पुलिस वालों के कथनानुसार हस्ताक्षर किये जाना बताता है। प्रकरण में अन्य परीक्षित गवाह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–02 सीताराम दौराने जिरह अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं होने तथा फर्द गिरफ्तारी पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं लिये जाने का कथन करता है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी/आहत राजकुमार सोनी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे उसके द्वारा दर्ज कराई गई तहरीरी रिपोर्ट व अभियोजन कहानी की लेषमात्र भी ताईद नहीं हो पाई है। प्रकरण के किसी भी गवाह द्वारा मुलजिमान की शिनाख्तगी किये जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण में अन्य कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसने द्वारा अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति व उनके द्वारा मौके पर आरोपित अपराध कारित किये जाने संबंधी साक्ष्य दी हो। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित

किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**::– आ दे श –::**

12– परिणामस्वरूप अभियुक्त लाला मीणा पुत्र श्री प्रभूनारायण मीणा, निवासी नाढी की ढाणी, मोहनपुरा, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर को भा.दं.सं. की धारा 452, 392 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोष–मुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण में अन्य अभियुक्त राधेश्याम मीणा व नाहरू की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है, जो उसी के पास रहे। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद मियाद अपील निरस्त समझा जावे। मुलजिम द्वारा प्रस्तुत 437ए सी.आर.पी.सी. के मुचलके आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

**( कविता चारण )**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 17
जयपुर महानगर–प्रथम, सांगानेर

13– निर्णय आज दिनांक 24.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

**( कविता चारण )**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 17
जयपुर महानगर–प्रथम, सांगानेर

————————